डिजिटल मीडिया और भारत में कानूनी प्रावधान

विकाश कुमार

प्रस्तावना

वर्तमान युग संचार तथा सूचना क्रांति का युग है जिसने संचार माध्यमों की दुनिया में नई तकनीक, नए–नए उपकरणों तथा नवाचारों की सहायता से मार्शल मैक्लुहान के 'विश्वग्राम' की अवधारणा को साकार कर दिखाया है। जनमाध्यमों और सूचना–तकनीक के समिश्रण ने परंपरागत संचार प्रक्रिया को पूरी तरह बदलते हुए राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मीडिया के स्वरूप तथा उसकी समस्त कार्यप्रणाली को भी बदलकर रख दिया है। समाचार के लेखन से लेकर प्रस्तुतिकरण में इस परिवर्तन को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। संचार के विस्तृत क्षेत्र में मुख्यधारा की मीडिया के अतिरिक्त 'डिजिटल मीडिया' के रूप में आज एक ऐसा माध्यम शामिल है जिसने पूरी दुनिया को हमारी मुठ्ठी में कैद कर दिया है, जहाँ सूचनाएं बस एक 'क्लिक' या 'टच' के माध्यम से पलक झपकते ही हमारे सामने उपलब्ध होती हैं। 15 अगस्त 1995 में 'विदेश संचार निगम लिमिटेड' द्वारा देश में इंटरनेट के आरंभ के बाद सूचना–तकनीक और प्रसारण के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। डायल–अप कनेक्शन, ब्रॉडबैंड, 2–जी से शुरू हुआ ये सफर आज 5–जी और कृत्रिम बुद्धिमता (Artificial Intelligence) तक पहुँच चुका है। आज राजनीति, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विभिन्न

Self Attested
Vikash Kumar